भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

गृह (पुलिस) विभाग

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 1987

क्र. एफ. 3-4-87-बी (1)-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के पाल एतद्द्वारा संचालक, चिकित्सा विधिक संस्थाएं, मध्यप्रदेश की स्थापना में चतुर्थ श्रेणी सेवा में भरती की पद्धति तथा क्षेत्र को विनियमित करते नेम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

नियम

(1) संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—ये नियम मध्यप्रदेश चिकित्सा विधिक संस्थान, चतुर्थ श्रेणी सेवा भरती नियम, 1987 कहलाएंगे. ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में,—

(एक) "अनुसूचित जाति के सदस्य" से अभिप्रेत है, संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किसी जाति, प्रजाति या जनजाति के किसी भाग या समूह का कोई सदस्य;

(दो) "अनुसूचित जनजाति के सदस्य" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में इस रूप में विनिर्दिष्ट किसी जनजाति, आदिवासी समुदाय या किसी जनजाति या आदिवासी समुदाय के किसी भाग या समूह का कोई सदस्य;

(तीन) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची.

3. प्रयुक्ति.—ये नियम संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट पदों पर पदस्थ इस सेवा के प्रत्येक कर्मचारी पर लागू होंगे.

4. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनसे संबद्ध वेतनमान अनुसूची के स्तम्भ (3) से में विनिर्दिष्ट किये अनुसार होंगे.

5. भरती का तरीका, आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएं.—पदों पर भरती करने का तरीका, आयु, सीमा, अर्हताएं तथा उनसे संबद्ध अन्य मामले सूची के स्तम्भ (6) से (11) में विनिर्दिष्ट किये अनुसार होंगे.

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिये पदों का आरक्षण.—सीधी भरती अथवा पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों से अनुसूचित त के लिये, 16 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिये 20 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे.

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों में की, गई कोई भी व्यवस्था अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये, भूतपूर्व सैनिकों के शासकीय सेवक की सेवा काल में मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार क एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति के लिये तथा विकलांक उम्मीदवारों के राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुबंध किये जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तें प्रभावित नहीं करेगी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. राधाकृष्णन, उपसचिव.

Administrative Officer, Medicolegal Institute, Govt. of M. P. Home (Police) Deptt (G. M. C. Building) BHOPAL.

अनुसूची

(नियम 2 देखें)

क्रमांक	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	भरती का तरीका (सीधी भरती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या अन्तरण द्वारा) तथा विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले रिक्त स्थानों का प्रतिशत	केवल सीधी भरती के लिये: न्यूनतम आयु सीमा	केवल सीधी भरती के लिये: अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता	केवल सीधी भरती के लिये: परिवीक्षा परीक्षण की अवधि यदि कोई हो	क्या सीधी भर्ती के लिये निहित आयु तथा शिक्षा संबंधी अर्हताएं पदोन्नति कर्मचारियों के मामले में लागू होगा	ऐसी पदोन्नति/अन्तरण श्रेणी-के पदाधिकारी जिसके पदोन्नति अन्तरण किया जाना हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	प्रयोगशाला परिचालक	3	चतुर्थ श्रेणी	775-12-955-14-1025-15-1100-20-1200 विशेष वेतन 40 रु. प्र. मा.	75 प्रतिशत, पद ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् सीधी भरती द्वारा भरे जायेंगे, जो विहित की जाये, और साक्षात्कार में उपयुक्त पाये जाने पर. 25 प्रतिशत पद पदोन्नति, द्वारा.	सामान्य उम्मीदवार 18 वर्ष से 30 वर्ष अनु. जाति/ जन. जाति 18 वर्ष से 35 वर्ष	हाईस्कूल परीक्षा (विज्ञान विषय सहित) उत्तीर्ण	..	..	(1) 25 प्रतिशत पद ऐसे दफ्तरी की, पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे जिसने दफ्तरी/जमादार के पद पर 5 वर्षों तक सेवा की हो. (2) प्रयोगशाला में कार्य करने की अभिरुचि होना आवश्यक है. (3) यदि योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न हो तो अन्य संस्थाओं जैसे मेडिकल कालेज मेडिकल हास्पिटल से इच्छुक एवं योग्य प्रयोगशाला परिचारकों की सेवाएं स्थानांतर/संविलियन से हो जावेगी.
2	दफ्तरी	1	चतुर्थ श्रेणी	750-12-870-14-940 विशेष वेतन 20 रुपये प्रतिमाह.	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	..	..	..	नहीं	ऐसे भृत्य की दफ्तरी के रूप में पदोन्नति, जिसने भृत्य के पद पर कम से कम 5 वर्ष तक सेवा की हो.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	जमादार	1	चतुर्थ श्रेणी	750-12-870-14-940 (विशेष वेतन 25/- रुपये प्रतिमाह.	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	..	..	..	नहीं	ऐसे स्वीपर को जमादार के रूप में पदोन्नति जिसने स्वीपर के पद पर कम से कम 5 वर्ष तक सेवा की हो.
4	भृत्य	5	चतुर्थ श्रेणी	725-10-735-12-855-15-900	सीधी भरती द्वारा (साक्षात्कार में उपयुक्त पाये जाने पर)	सामान्य उम्मीदवार 18 से 30 वर्ष अनु. जा./जन. जा. के उम्मीदवार 18 से 35 वर्ष.	पांचवीं कक्षा.	..	..	..
5	स्वीपर	6	चतुर्थ श्रेणी	725-10-735-12-855-15-900 विशेष वेतन 25 रु. प्रतिमाह.	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा-शव गृह में कार्य करने की अभि. रुचि होना आवश्यक है.	सामान्य उम्मी. 18 से 30 वर्ष अनु. जा./जन. जा. के उम्मी. 18 से 35 वर्ष.	मेहतर के पद के लिये शैक्षणिक योग्यता का कोई बंधन नहीं रहेगा.	..	..	..

नोट:--नियुक्तिकर्ता अधिकारी---निदेशक, मेडिको लीगल संस्थान, मध्यप्रदेश.

(2) पदोन्नति समिति के सदस्य.—

(1) सीनियर फोरेन्सिक स्पेशलिस्ट .. .. अध्यक्ष

(2) जुनियर फोरेन्सिक स्पेशलिस्ट .. .. सदस्य

(3) प्रशासकीय अधिकारी .. .. सदस्य